

स्मार्ट प्री-पेड मीटर के लिये बनेगा कानून

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार वदियुत वनियामक आयोग ने बिहार में लगाए जा रहे स्मार्ट प्री-पेड मीटर के लिये तथा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिये नया कानून बनाने का जमिमा लिया है।

प्रमुख बदि

- बजिली कंपनी की ओर से बिहार वदियुत वनियामक आयोग को कहा गया है कि बिहार में स्मार्ट मीटर नयिमन (रेगुलेशन) बनाए जाने के लिये आयोग को ही रेगुलेशन का ड्राफ्ट जारी करना है। ड्राफ्ट जारी होने के बाद आम लोगों से उस पर राय ली जाएगी। कंपनी भी अपनी ओर से उस पर अपना पक्ष रखेगा।
- स्मार्ट प्री-पेड मीटर को लेकर कंपनी ने आयोग के समक्ष कुछ और प्रस्ताव भी सौंपे हैं। मोबाइल पर तीन संदेश के बावजूद उपभोक्ता अगर मीटर रचिरज नहीं कराएंगे तो डसिक्नेक्शन, यानी बजिली गुल हो जाएगी। कंपनी ने आयोग से अनुरोध किया है कि वह एक समय तय कर दे कि कतिने दिनों के बाद उपभोक्ताओं का कनेक्शन अस्थायी तौर पर काटा जाएगा। इसके बाद अगर उपभोक्ता दोबारा कनेक्शन लें तो उनसे क्या शुल्क लिया जाए?
- उल्लेखनीय है कि साल 2025 तक सभी बजिली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिये राज्य सरकार ने अपनी योजना शुरू की है। इस मद में 11 हजार 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजिली कंपनी की यह अबतक की सबसे बड़ी योजना है।
- देश में बिहार इकलौता राज्य है, जिसने प्री-पेड मीटर लगाना शुरू किया है। अब तक तीन लाख से अधिक मीटर लग चुके हैं और देश के अन्य राज्य बिहार का अनुकरण कर रहे हैं।